# गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

## विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2023 को प्रातः 08:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 पी.के. बाजपेयी | सदस्य |
| 3. | प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा | सदस्य |
| 4. | प्रो0 ए.एस. रणदिवे | सदस्य |
| 5. | प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा | सदस्य |
| 6. | प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी | सदस्य |
| 7. | प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव | सदस्य |
| 8. | प्रो0 सीमा राय | सदस्य |
| 9. | प्रो0 राजेन्द्र मेहता | सदस्य |
| 10. | प्रो0 सी.एस. वझलवार | सदस्य |
| 11. | प्रो0 ब्रजेश तिवारी | सदस्य |
| 12. | प्रो0 एस.सी. तिवारी | सदस्य |
| 13. | प्रो0 एम.के. सिंह | सदस्य |
| 14. | डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल | सदस्य |
| 15. | डॉ0 बी.आर. रावटे | सदस्य |
| 16. | डॉ0 पायल बनर्जी | सदस्य |
| 17. | प्रो0 व्ही.एस. राठौर | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 18. | प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक) | सचिव |

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए गठित फिक्की के प्रतिनिधि मण्डल में कुलपति महोदय का सदस्य के रूप में शामिल किये जाने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर समस्त सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया एव बधाई दी। तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

**विषय क्र.01** **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

**विषय क्र. 02** **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

Mcell~1\SC\..\ SC 21-04-2023

21/04/2023

21/04/23

**विषय क्र. 03. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja Ambikapur (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya, Sarguja Ambikapur (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता हस्ताक्षर कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

**विषय क्र. 04. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय परिसर में गुरू घासीदास प्याऊ सेवा (GPS) प्रारम्भ किये जाने पर विचार।**

कुलपति महोदय के इस अभिनव पहल के लिए स्थायी समिति ने सराहना की तथा विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय परिसर में गुरू घासीदास प्याऊ सेवा (GPS) प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने स्थित मुख्य सड़क पर भी एक प्याऊ स्थापित किया जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि उक्त प्याऊ सेवा का संचालन सामाजिक सहायोग से किये जाने की दिशा में उपयुक्त प्रयास किये जायें।

**विषय क्र. 05. गैर शैक्षणिक पद महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये जाने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गैर शैक्षणिक पद महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि महिला चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं अंशकालिक व्यवस्था होगी तथा इस नियुक्ति को विश्वविद्यालय में स्थायी नियुक्ति अथवा नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बनाया जायेगा।

**विषय क्र. 06. डॉ0 देविन्दर सिंह द्वारा त्यागपत्र वापस लिये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि डॉ0 देविन्दर सिंह के आवेदन पर एवं प्रकरण पर यथोचित निर्णय लेने के लिए कुलपति महोदय स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगे।

**विषय क्र. 07. विश्वविद्यालय के पांच भवनों के ऊपर अतिरिक्त तलों का निर्माण किये जाने हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से HEFA (Window III) के अधीन कुल राशि रूपये 99.25 करोड़ मांगे जाने के प्रस्ताव पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पांच भवनों के ऊपर अतिरिक्त तलों का निर्माण किये जाने हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से HEFA (Window III) के अधीन कुल राशि रूपये 99.25 करोड़ मांगे जाने के प्रस्ताव का संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के पूर्व सदस्यों द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पुनर्विचार कर लिया जाय तथा शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए भी प्रावधान/भवन का प्रस्ताव शामिल किये जाने संबंधी यथोचित कार्यवाही की जाय।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

**अ.अ.वि.क्र.–1 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 20.04.2023 के कार्यवृत्त पर विचार।**

स्थायी समिति ने अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 20.04.2023 के विषयों पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक के कार्यवृत्त एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

21/04/23 21/04/2023

**कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव** **कुलपति/अध्यक्ष**